

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/31/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5,संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 30 जून 2026

जांच शुरुआत अधिसूचना
SETU case ID- AD/OI/032/2026

विषय चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एंथ्रेसाइट कोयले से बने कार्बन रेजर" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

1. फा. सं. 6/31/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एंथ्रेसाइट कोयले से बने कार्बन रेजर" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।
2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है तथा उसने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का भी अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "एंथ्रेसोइड कोयले से बना कार्बन रेजर" है।
4. विचाराधीन उत्पाद को कार्बन एडिटिव या कार्बराइजर, इलेक्ट्रिकली कैल्सीड एंथ्रासाइट और गैस कैल्सीड एंथ्रासाइट के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद को पिघले हुए धातु (आमतौर पर स्टील, फाउंड्री, एल्यूमीनियम और अन्य धातुकर्म उद्योगों) में धातु में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। इसका उपयोग कैथोड ब्लॉक और इलेक्ट्रोड पेस्ट बनाने में भी किया जाता है।
5. विचाराधीन उत्पाद में एंथ्रासाइट कोयले से बने सभी प्रकार, ग्रेड और कार्बन रेजर शामिल हैं, जिसमें गांठ, ग्रेन्युल, पाउडर या ब्रिकेटेड रूप शामिल हैं, चाहे वे क्रशिंग, साइजिंग, ब्लेंडिंग या कोटिंग जैसे आगे की प्रक्रिया के अधीन हों या नहीं, और कण आकार, निश्चित कार्बन सामग्री, राख सामग्री, सल्फर सामग्री या अन्य भौतिक/रासायनिक विशिष्टताओं की परवाह किए बिना हो।
6. उत्पाद को मीट्रिक टन (एमटी) या किलोग्राम (केजी) में मापा जाता है।
7. विचाराधीन उत्पाद सीमा उप-शीर्ष 27011100 सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 27 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, आवेदक ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को कोड 28030090, 38019000, 38021000 और 38249900 के अंतर्गत भी आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
8. आवेदक ने अपने आवेदन-पत्र में किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार जांच शुरू करने की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं और यदि कोई उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति है, तो उसका प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान तथा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान तथा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण सहित सभी दृष्टियों से तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं तथा उपभोक्ता उनका परस्पर विनिमय रूप से उपयोग करते हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" माना गया है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

11. आवेदकों ने 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 (12 माह) की अवधि को जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में प्रस्तावित किया है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024, 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025, तथा जांच की अवधि (पीओआई) सम्मिलित होगी।

ङ. घरेलू उद्योग और आधार

12. यह आवेदन मैसर्स कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है तथा वह संबद्ध देश के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख घरेलू उत्पादक है। अन्य उत्पादक, अर्थात् सैनवीरा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ने भी इस आवेदन का समर्थन किया है। अतः आवेदक

तथा समर्थक मिलकर जांच की अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात प्रतिनिधित्व करते हैं।

13. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रथम दृष्टया आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग होने तथा आवश्यक आधार (Standing) की शर्तों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को भी पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क) चीन के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने अनुलग्नक-1 के पैरा 8(2) का भी उल्लेख किया है तथा यह कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 8(3) के अनुसार विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुलग्नक-1 के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।
15. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तृतीय देश में प्रचलित कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए। तथापि, बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तृतीय देश में कीमत अथवा लागत संबंधी विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः आवेदक ने भारत में देय कीमत, उत्पादन लागत, विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। अतः जांच प्रारंभ करने के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण आवेदक द्वारा प्रस्तावित पद्धति के आधार पर किया गया है।

ख) निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम के आंकड़ों में उपलब्ध विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री मालभाड़ा, अंतर्देशीय मालभाड़ा, बीमा, निकासी शुल्क, बंदरगाह शुल्क, डीलर कमीशन, बैंक शुल्क तथा ऋण लागत के लिए आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

ग) पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

18. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों की मात्रा, पिछले वर्ष की तुलना में, निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों आधारों पर बढ़ी है। आयातों के कारण कीमत दमन तथा कीमत अवसाद के प्रमाण उपलब्ध हैं। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
19. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के मध्य कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को उचित ठहराते हैं, ताकि कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सके, जो यदि अधिरोपित किया जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत समर्थित लिखित आवेदन तथा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर, और कथित पाटन, उससे उत्पन्न घरेलू उद्योग की क्षति तथा दोनों के मध्य कारणात्मक संबंध के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9क तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हैं, ताकि कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा ऐसे उपयुक्त पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सके, जो यदि अधिरोपित किया जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

झ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. इस जांच से संबंधित सभी सूचना, प्रश्नावली तथा प्रस्तुतियां केवल सेतु (SETU) पोर्टल के माध्यम से तथा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ही दायर की जाएंगी। ई-मेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त प्रस्तुतियों पर प्राधिकारी विचार नहीं करेंगे।
23. जांच में भाग लेने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setudgtr.gov.in>) पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को पंजीकरण में कठिनाई होती है, तो वह डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से <https://setu.dgtr.gov.in/help-desk> पर उपलब्ध विवरणों के माध्यम से संपर्क कर सकता है। सभी पत्राचार तथा प्रस्तुतियां संबंधित हितबद्ध पक्षकार के पंजीकृत नाम तथा SETU Case ID - AD/OI/032/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर ही दायर की

जाएंगी। हितबद्ध पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि कथात्मक भाग Searchable PDF/MS Word प्रारूप में तथा आंकड़ा-संबंधी फाइलें MS Excel प्रारूप में, उचित रूप से लिंक की गई गणनाओं सहित, प्रस्तुत की जाएं।

24. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार तथा भारत में ज्ञात आयातकों एवं उपयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचनाएं निर्धारित रूप एवं तरीके से प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच प्रारंभ अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार दायर की जाएंगी।
25. जांच में रुचि रखने वाले सभी पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर एवं अन्य प्रस्तुतियां दायर करें।
26. कोई भी हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतियां इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप एवं तरीके से दायर कर सकता है। कोई भी पक्षकार जो प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है, उसे उसी समय उसका अगोपनीय रूपांतर भी प्रस्तुत करना होगा। अगोपनीय रूपांतर, गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए।
27. हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस जांच से संबंधित अद्यतन सूचनाओं के लिए नियमित रूप से व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in>) तथा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) का अवलोकन करते रहें। उन्हें प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन बैठक/चर्चा कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना, अंतिम निष्कर्ष तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली अधिसूचनाओं से भी अवगत रहना चाहिए।

ट. समय-सीमा

28. गोपनीय रूपांतर (सीवी) तथा अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय रूपांतर के प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर सेतु पोर्टल के संबंधित निर्दिष्ट अनुभागों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकते हैं।
29. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराने के इच्छुक प्रत्येक पक्षकार को सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा तथा इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही अपनी प्रश्नावली के उत्तर एवं अन्य प्रस्तुतियां दायर करनी होंगी।
30. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)/पीसीएन पद्धति के क्षेत्राधिकार पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की 15-दिवसीय अवधि इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
31. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)/पीसीएन में संशोधन के कारण समय का विस्तार: यदि प्राधिकारी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद अथवा पीसीएन में ऐसा संशोधन करता है जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो जांच प्रारंभ अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त अवधि संशोधित पीयूसी तथा पीसीएन संबंधी अधिसूचना की तिथि से उपलब्ध होगी। यदि जांच प्रारंभ होने के पश्चात पीयूसी अथवा पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो यह 15-दिवसीय विस्तार लागू नहीं होगा। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, 15 दिनों के विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से अधिक अतिरिक्त समय देने के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

32. समय-विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा मूल निर्धारित समय-सीमा से कम-से-कम तीन दिन पूर्व केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना अथवा प्रस्तुति देता है, वहां उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसी सूचना का एक अगोपनीय रूपांतर भी साथ-साथ प्रस्तुत करना होगा।
34. ऐसी प्रत्येक प्रस्तुति के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। जिन प्रस्तुतियों पर ऐसा अंकन नहीं होगा, उन्हें प्राधिकारी "अगोपनीय" मानेंगे तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनका निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर मूलतः गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित अथवा (जहां अनुक्रमण संभव न हो) रिक्त किया गया हो तथा गोपनीयता का दावा की गई सूचना का उचित एवं पर्याप्त सारांश प्रस्तुत किया गया हो।
36. गोपनीय रूपांतर में वह समस्त सूचना सम्मिलित होगी जो स्वभावतः गोपनीय है तथा/अथवा जिसे सूचना प्रदाता ने गोपनीय होने का दावा किया है। जहां किसी सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा उसके स्वभाव अथवा अन्य कारणों से किया जाता है, वहां सूचना प्रदाता को उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
37. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति का परीक्षण करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर

पहुंचते हैं कि गोपनीयता का दावा उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकटन की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।


38. अगोपनीय सारांश में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषयवस्तु को समुचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, यदि कोई पक्षकार यह दर्शाता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं युक्तिसंगत कारणों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा, जिससे प्राधिकारी संतुष्ट हो सकें।
39. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता संबंधी दावों पर आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
40. यदि कोई प्रस्तुति सार्थक अगोपनीय रूपांतर अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुरूप पर्याप्त एवं युक्तिसंगत कारण विवरण के बिना प्रस्तुत की जाती है, तो प्राधिकारी ऐसे गोपनीयता दावे को अभिलेख पर स्वीकार नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

41. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सभी अगोपनीय रूपांतर उनके संबंधित सेतु पोर्टल लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

ढ. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से इंकार करता है अथवा प्राधिकारी द्वारा इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा अथवा युक्तियुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी पक्षकार घोषित कर सकते हैं तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त समझें।



(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी